

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17

जयपुर, दिनांक 16-11-22.

श्री _____
विशिष्ट लोक अभियोजक/
अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक

- विषय:-** आर०पी०ए जयपुर में दिनांक 19.11.22 से 21.11.22 के स्थान पर दिनांक 26.11.22 से 28.11.22 तक "Cyber Crime Awareness Course for Judicial Officers, Public Prosecutor" विषय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में।
- सन्दर्भ:-** अति० महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक प.11(20) प्रशि/सीसीपीडब्ल्यूसी/पार्ट-1/2020/15306 दिनांक 14.11.22

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 14.11.22 प्रेषित कर अवगत कराया है कि दिनांक 19.11.22 से 21.11.22 तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में "Cyber Crime Awareness Course for Judicial Officers and Public Prosecutor" विषय पर प्रशिक्षण आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कोर्स स्थगित कर दिनांक 26.11.22 से 28.11.22 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया है। प्रशिक्षण कोर्स आयोजन की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में निवास करना अनिवार्य होगा।

अतः इस विभाग के पत्र दिनांक 04.11.22 में वर्णित सारणी के क्र०सं० 1 से 12 में वर्णित विशिष्ट लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को दिनांक 19.11.22 से 21.11.22 के स्थान पर दिनांक 26.11.22 से 28.11.22 तक उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु मनोनीत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपने साथ सिविल औपचारिक वेशभूषा के साथ दिनांक 25.11.22 को सांयकाल तक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आवश्यक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


ह०

(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
2. संबंधित न्यायालय।
3. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण